-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा बुजुर्ग महिला की डण्डा मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त द्वारा दिनांक 15/16.09.2025 की रात्रि को बुजुर्ग महिला की गई थी हत्या।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पैलानी पुलिस द्वारा बुजुर्ग महिला की डंडे से मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम सिंधनकला में दिनांक 15/16.09.2025 की रात्रि को एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में मृतका के पुत्र तुलसीराम की तहरीर पर गांव के ही संजय कुशवाहा के विरुद्ध थाना पैलानी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा अभियुक्त को ग्राम सिंधनकला से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना के समय उसके पहने हुए खून से सने कपड़े बरामद हुए है। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त डंडे को पहले ही बरामद किया जा चुका है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसका मृतका के घर की ही एक लड़की से उसका प्रेम सम्बन्ध था जिसकी जानकारी मृतका को होने पर लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसी कारण रंजिश में महिला की हत्या कर दी थी।

बरामदगी –

- अभियुक्त के खून से सने कपड़े (घटना के समय पहने हुए)
- घटना में प्रयुक्त डंडा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय कुशवाहा पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी सिन्धनकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 229/25 धारा 103(1)351(2)/352 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार वर्मा प्र0नि0 थाना पैलानी मय टीम